बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग।

।। अधिसूचना ।।

संख्या–.................................... दिनांक–...................................... भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग नियमावली, 2008 के नियम 6 (क) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –
   (1) यह नियमावली '' बिहार कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. बिहारा कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग नियमावली, 2008 के नियम 6 (क) में प्रयुक्त शब्द ''मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा'' शब्द ''इन्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव)
अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–के/कारा/अ0नि0–21/2008......................... दिनांक–.......................................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0 सहित) प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह (कारा) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– के/कारा/अ0नि0–21/2008....................दिनांक–.................................

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– के/कारा/अ0नि0–21/2008....................दिनांक–.................................

प्रतिलिपि–सामान्य प्रशान विभाग/वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– के/कारा/अ0नि0–21/2008.3489..दिनांक–...28-6-14........

प्रतिलिपि–महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उप कारा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/14

अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

D:\DEEPAK KUMAR\PREM JI\Lipik Niyamawali Corection.doc